न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः– रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः– 89 / 2021

प्रार्थीगणः–

1. नाथूसिंह पुत्र श्री बलवन्तसिंह
2. हरिसिंह पुत्र श्री बलवन्तसिंह
3. माधोसिंह पुत्र श्री बलवन्तसिंह
4. अगरकंवर पत्नी श्री बलवन्तसिंह

जातियान राजपूत, निवासी मीनों की ढाणी, तहसील तिंवरी, हाल निवासी झरिया तहसील ओसियां जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगणः–

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार तहसील तिंवरी जिला जोधपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार तहसील ओसियां जिला जोधपुर।

न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां जिला जोधपुर

प्रार्थीगण की ओर से :– अधिवक्ता श्री पेपसिंह भाटी

अप्रार्थीगण की ओर से :– सरकारी पैरोकार।

–::निर्णय::–

दिनांकः– 12/3/22

प्रार्थीगण द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है किः–प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 960 रकबा 6.1350 हैक्टेयर, ग्राम मीनों की ढाणी, खसरा नम्बर 1691 रकबा 10.2223 हैक्टेयर मौजा ग्राम चेराई तहसील तिंवरी व खसरा नम्बर 1247 रकबा 17.4338 हैक्टेयर, खसरा नम्बर

सहायक कलेक्टर, ओसियां

1250 रकबा 0.7770 हैक्टेयर मौजा ग्राम झरिया, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है। उपर्युक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की है तथा शांतिपूर्वक कब्जा काश्त है। प्रार्थी संख्या 1 को दो नामों से जाना जाता है। घरेलू बोलचाल का नाम नरपतसिंह है तथा बाहरी बोलचाल का नाम नाथूसिंह है दोनों नाम प्रार्थी संख्या 1 के ही है दोनों नामों के अलग-अलग व्यक्तियों नहीं है। उपरोक्त वर्णित भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज करते वक्त नरपतसिंह दर्ज कर दिया गया जो गलत है। जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डायरी, जनआधार कार्ड, जॉब कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड इत्यादि में नाम नाथूसिंह पुत्र बलवन्तसिंह दर्ज है। इसलिए उपरोक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रार्थी संख्या 1 का गलत नाम नरपतसिंह पुत्र बलवन्तसिंह के स्थान पर सही नाम सरकारी दस्तावेजों के अनुसार नाथूसिंह पुत्र बलवन्तसिंह दर्ज कर करवाने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश है। राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डायरी, जनआधार कार्ड, जॉब कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड इत्यादि दस्तावेजों की प्रतियां पेश की। उपरोक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी संख्या 1 के घरेलु बोलचाल का गलत नाम नरपतसिंह पुत्र बलवन्तसिंह दर्ज होने के कारण उक्त खसरान की भूमि सम्बन्धी विकास कार्य व अन्य किसी तरह की कार्यवाही करने में कठिनाईयां होने के कारण राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम नरपतसिंह पुत्र श्री बलवन्तसिंह के स्थान पर सही नाम नाथूसिंह पुत्र श्री बलवन्तसिंह दर्ज करवाना चाहता है। उक्त राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी संख्या 1 का नाम सुधारने हेतु तहसीलदार ओसियां व तिंवरी को निवेदन किया लेकिन उन्होंने त्रुटि सुधारने से इन्कार कर दिया और कहा कि उक्त त्रुटि सुधारने बाबत् उपखण्ड अधिकारी ओसियां से आदेश लेना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण व अन्य की खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 960 रकबा 6.1350 हैक्टेयर, ग्राम मीनों की ढाणी, खसरा नम्बर 1691 रकबा 10.2223 हैक्टेयर मौजा ग्राम चेराई तहसील तिंवरी व खसरा नम्बर 1247 रकबा 17.4338 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1250 रकबा 0.7770 हैक्टेयर मौजा ग्राम झरिया, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी संख्या 1 का गलत नाम नरपतसिंह पुत्र बलवन्तसिंह के स्थान पर नाथूसिंह पुत्र बलवन्तसिंह दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये रजिस्टर्ड नोटिस अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि

प्रार्थी संख्या 1 का नाम राजस्व रेकर्ड में नरपतसिंह पुत्र बलवन्तसिंह दर्ज है जो गलत दर्ज हो रखा है सही नाम नाथूसिंह पुत्र बलवन्तसिंह है जो शुद्ध किया जाना उचित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 960 रकबा 6.1350 हैक्टेयर, ग्राम मीनों की ढाणी, खसरा नम्बर 1691 रकबा 10.2223 हैक्टेयर मौजा ग्राम चेराई तहसील तिंवरी व खसरा नम्बर 1247 रकबा 17.4338 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1250 रकबा 0.7770 हैक्टेयर मौजा ग्राम झरिया, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी संख्या 1 का नाम नरपतसिंह पुत्र बलवन्तसिंह के स्थान पर नाथूसिंह पुत्र बलवन्तसिंह दर्ज किये जाने कां आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी व ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 12/3/22 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner